न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00327/2018/223

1. घीसालाल पुत्र सोहनदास, जाति साधू, निवासी गुलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश पुत्र धन्नादास,
2. विष्णु पुत्र जगदीश पुत्र धन्नादास,
3. श्रीमती रामकन्या पत्नी जगदीश पुत्र धन्नादास,
4. पार्वती पुत्री जगदीश पुत्र धन्नादास,
   समस्त जाति साधू, निवासी गुलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. बजरंग पुत्र रामकिशन जाति साधू,
6. गोपी बेवा रामेश्वर,
7. कैलाश पुत्र गजानंद,
8. बदाम पुत्री गजानंद,
9. हेमा पुत्र गजानन्द,
   समस्त जाति साधू, निवासी गुलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

11. महावीर पुत्र सोहनदास, साधू,
12. संतोष पुत्री सोहनदास, साधू,
    समस्त जाति साधू, निवासी गुलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 24.5.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 27.7.2018 अंतर्गत वाद संख्या 11/2015. (107/2009) (159/2016)

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 से 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 15.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.5.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 27.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53, 92—ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 9 तथा

प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 11 व 12 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि ग्राम गुलगांव, तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी मे खाता संख्या 293 में वर्णित आराजी किशनदास, रामकिशनदास, गजानन्ददास, धन्नादास पिता नारायण दास एवं जगदीश पुत्र धन्नादास के नाम राजस्व रिकार्ड मं बतौर खातेदारी दर्ज थी जिनके हाल खसरा नंबर अनुसार जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 122, 70, 624, 623, 664 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादगग्रस्त भूमि खाता नंबर 122 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम, खाता नंबर 70 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के नाम, खाता नंबर 624 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम, खाता नंबर 623 में वर्णित आराजियात में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का तथा 7/36 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम एवं 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी है जबकि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा दर्ज था । राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती से नये राजस्व रिकार्ड बनाने में त्रुटियां हुई है जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय दर्ज हिस्सा में से किसी के कम व किसी के ज्यादा भूमि अंकित कर दी गई है लिहाजा वादीगण ने यह वाद पूर्व जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने व घोषणा कर प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि पर पाबंद कराये जाने हेतु यह दावा पेश किया है जिसे स्वीकार किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.4.2018 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 27.7.2018 को संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादगण के द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 92–ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया कि जिसमें वादिया श्रीमती कलावती पुत्री जगदीश का स्वर्गवास करीब दो वर्ष पूर्व ही हो गया चुका था । अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका था इसके बावजूद कलावती के वारिसान के संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के द्वारा वारिसान के बाबत् कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी अवस्था में अधी0न्याया0 का अपीलाधी निर्णय व डिक्री मृतक के पक्ष में पारित किया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा वादपत्र जमाबंदी संवत् 2014–17 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि विवादित भूमि जिनका बंटवारा करीब साठ वर्ष पूर्व ही हो चुका था तथा बंटवारे के अनुसार अलग–अलग खाता कायम किया जा चुका था इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2022 के अनुसार खाता संख्या 336 में वर्णित भूमि जो कि अपीलांट के पिता किशनदास पुत्र नारायण दास के नाम दर्ज कर दी गई इसी प्रकार खाता संख्या 305 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 5 के पिता रामकिशन पुत्र नारायण दास के नाम दर्ज कर दी गई तथा खाता संख्या 103 जगदीश पुत्र धन्नादास के नाम दर्ज कर दी गई एवं खाता संख्या 42 रेस्पो0 संख्या 7 से 9 के पिता

गजानंद पुत्र नारायण के नाम दर्ज कर दी गई । इस प्रकार यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि का खातेदारान के मध्य करीब 60 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका था एवं इसी अनुसार चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 में अलग–अलग खाते अनुसार दर्ज कर दी गई थी परन्तु वादीगण के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के आधार पर गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार कैम्प गुलगांव में उपस्थित होने हेतु अपीलांट को नोटिस नहीं दिया तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि राजस्व कैम्प में मात्र पक्षकारान की सहमति, राजीनामा के आधार पर ही आदेश पारित किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा कैम्प में प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की गई है । वादीगण के द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज जिनको प्रदर्शित ही नहीं करवाया गया ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज का प्रदर्शित नहीं कराने की स्थिति में दस्तावेज को पढ़ा नहीं जा सकता था । अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र में विवाद बिन्दु कायम किये गये जिसमें विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय अधी0न्याया0 के द्वारा वाद पत्रावली पर प्रस्तुत भू–अभिलेख राजस्व रिकार्ड के विपरीत किया गया है। वादीगण का विवाद बिन्दु संख्या 1 के निर्णय अनुसार 1/4 हिस्सा के संदर्भ में गलत निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलांट के उपरोक्त पैरा में वर्णितानुसार विवादित भूमि का बंटवारा करीब 60 वर्ष पूर्व ही हो चुका था जिसकी पुष्टि चौसाला जमाबंदी एकीकरण संवत् 2022 से प्रमाणित है । इसी प्रकार तनकी संख्या 2 आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत आराजी हाल खसरा नंबर अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक खाते में दर्ज होने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है, के संदर्भ में अपील के पैरा संख्या 3 के अनुसार विवादित भूमि का सहिस्सेदारों के मध्य बंटवारा करीब 60 वर्ष पूर्व ही हो चुका था एवं चौसाला एकीकरण की जमाबंदी संवत् 2022 में भी अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये थे जिससे यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि के पृथक–पृथक खाते दर्ज हो चुके थे परन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य के संदर्भ में जिरह हेतु कोई अवसर ही नहीं दिया । अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि के संदर्भ में दिनांक 24.5.2016 को अपीलांट/प्रतिवादी के द्वारा कोई समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया यहां तक कि रेस्पो0 गोपी पत्नी रामेश्वर, बजरंगलाल पुत्र रामकिशन के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष स्टाम्प पर शपथ पत्र, दिनांक 12.7.2016 को प्रस्तुत किये कि वादीगण के द्वारा धोखा किया गया है जबकि रेस्पो0 बजरंगलाल व श्रीमती गोपी के द्वारा कोई राजीनामा नहीं किया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाने पर अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 के तहत पेश कर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया बल्कि न्याय आपके द्वार में पक्षकारान की बिना सहमति एवं बिना राजीनामे के वाद को निर्णित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 27.7.2018 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 जा0दी0 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में संशोधन के संबंध में प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने संशोधित डिक्री पारित कर दी जबकि जिन खसरा नंबर के संबंध में संशोधित डिक्री पारित की गई जिनका वादपत्र

में उल्लेख ही नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा संशोधित डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.5.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 27.7.2018 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2019 पेज 673 एवं ए0आई0आर0 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 1469 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.5.2018 को पारित की गई है जिसकी प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 24.5.2018 को ही आवेदन पत्र पेश कर दिया गया था किन्तु अपीलांट को यह बताया कि पत्रावली मिल नहीं रही है, बार–बार निवेदन करने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रति नहीं दी गई तत्पश्चात् दिनांक 24.10.2018 को प्रमाणित प्रति दी गई परन्तु प्रमाणित प्रतियों की पुस्त पर इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया गया । इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं संशोधित डिक्री दिनांक 27.7.2018 की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 24.10.2018 को ही प्राप्त हुई । तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा बिना विलंब के यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी में खाता संख्या 293 में वर्णित आराजी किशनदास, रामकिशनदास, गजानंददास, धन्नादास पिता नारायणदास एवं जगदीश पुत्र धन्नादास के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज थी । उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर अनुसार जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता नंबर 122, 70, 624, 623 व 464 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादग्रस्त भूमि खाता नंबर 122 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम, खाता नंबर 70 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के नाम, खाता नंबर 624 में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम, खाता नंबर 623 में वर्णित आराजियात में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का तथा 7/36 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम एवं 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी है जबकि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा दर्ज था । राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती से नये राजस्व रिकार्ड बनाने में त्रुटियां हुई है जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय दर्ज हिस्सा में से किसी के कम व किसी के ज्यादा भूमि अंकित कर दी गई थी । विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है । अपीलांट ने विवादित आराजियात के बंटवारे के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को गुणावगुण पर

सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 17. 12.2020 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज श्रीमती कलावती वेष्णव का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रकरण को निर्णित करने में सहायक होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर दस्तावेज के संलग्न मृत्यु प्रमाण पर को रिकार्ड पर लिया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 ओमप्रकाश, विष्णु, रामकन्या, कलावती, पार्वती जो कि धन्नादास के वारिसान है, के द्वारा बजरंग, गोपी, कैलाश, बादाम, हेमा व सोहनदास के विरूद्ध धारा 88, 53, 188, 92–ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत ग्राम जंगल गुलगांव तहसील केकड़ी के खाता संख्या 293 कुल किता 17 रकबा 89–03–00 बीघा भूमियों बाबत् जो जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी में किशनदास, रामकिशनदास, गजानंददास, धन्नादास पि0 नारायणदास एवं जगदीश पुत्र धन्नादास के नाम दर्ज थी बाबत् वाद पेश किया था । नारायण दास के चार पुत्र क्रमशः किशनदास, रामकिशनदास, गजानंददास व धन्नादास हुए । धन्नादास के वारिस अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण थे । रामकिशनदास के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा गजानंददास के वारिस प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 है । किशनदास के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 है । प्रतिवादी संख्या 6 का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके वारिसान अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 11 व 12 है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का कथन रहा है कि संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी में उक्त भूमियां शामलाती थी परन्तु वर्तमान आधार जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग द्वारा मनमर्जी से ही बंटवारा कर अलग–अलग खाते दर्ज कर दिये गये है जो कि वादपत्र में अनुसूची ब, स, द, य एवं व में अभिवर्णित है । वादपत्र की अनुसूची ब में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम, 'स' में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम, 'द' में वर्णित प्रतिवादी संख्या 6 के नाम तथा 'य' में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 7/36, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/18 हिस्सा एवं वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है । अनुसूची 'व' में वर्णित भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई है जो गलत है जिसका बंटवारा कर 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वादीगण का वाद अस्वीकार किया गया एवं कथन किया कि वादग्रस्त भूमियों का 3–4 पीढ़ियों पूर्व ही बंटवारा होकर अलग–अलग जमाबंदियां कायम की जा चुका है तथा बंटवारा हनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकियात कायम कर वादी का वाद स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट जो कि सोहनदास का वारिस है द्वारा यह अपील पेश की गई है । अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन भूमियों का 3 पीढ़ियों पूर्व ही बंटवारा होकर अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये है । इस संबंध में संवत् 2022 की जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिसमें खसरा नंबर 2837/1, 563, 564, 1035 कुल रकबा 14–19–10 भूमियां किशनदास पुत्र नारायणदास की खातेदारी में दर्ज है । खसरा नंबर 622 व 623 रकबा 16–14–10 बीघा भूमि रामकिशन पुत्र नारायण दास के नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नंबर 284, 1042, 1043, 1052, 1065/1 रकबा 27–19–10 बीघा भूमि जगदीश पुत्र धन्नादास की खातेदारी में दर्ज है । खसरा नंबर 1002, 1036, 1047 कुल रकबा 16–16–10 भूमियां गजानंददास पुत्र

नारायणदास की खातेदारी में दर्ज है । उपरोक्त रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत् 2022 की जमाबंदी में ही नारायणदास की भूमियों का बंटवारा होकर अलग–अलग खाते कायम किये जा चुके थे तथा खाते में दर्ज भूमियों पर उसी अनुसार पक्षकारान उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी उसी अनुसार उपयोग व उपभोग कर रहे है । वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में संवत् 2022 की जमाबंदी को चुनौती नहीं दी गई है तथा बंटवारा जो तीन पीढ़ियों पूर्व ही हो चुका है के विरूद्ध पुनः बंटवारा हेतु वाद पेश किया गया है जो कानूनन विधिक नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 2018 सुप्रीम कोर्ट (सल्ली.) पेज 1169 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि सम्पति का मौखिक बंटवारा भी पूर्व में हो चुका है तथा बंटवारा अनुसार रिकार्ड में अपने–अपने खाते में सम्पति दर्ज है और मौखिक बंटवारा Duly acted upon होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है तो पुनः बंटवारे का वाद पोषणीय नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि संवत् 2022 में बंटवारा होकर अलग–अलग खाते कायम किये जा चुके थे परन्तु पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा कभी भी संवत् 2022 की जमाबंदी में हुए इंद्राजात पर ऐतराज नहीं किया गया किन्तु अब उनके वारिसान द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत यह वाद एवं ऐतराज किया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर0बी0जे0 2019 पेज 673 का अवलोकन किया गया जिसमें यह पारित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति ने पैतृक सम्पति में एकबार हिस्सा प्राप्त कर लिया है तब शेष बची आराजियात में पुनः हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पूर्वज जगदीश पुत्र धन्नादास को संवत् 2022 की जमाबंदी में खाता संख्या 103 के तहत खसरा नंबर 284, 1042, 1043, 1052 व 1065/1 रकबा 27–19–10 बीघ्ज्ञा भूमियां दे दी गई जो अन्य खातों की तुलना में ज्यादा है फिर भी वादीगण द्वारा यह वाद बंटवारा का पेश किया गया है जो पीढ़ियों पूर्व हुए बंटवारे को जो कि Duly acted upon होकर संवत् 2022 की जमाबंदी में ही अलग–अलग खाते कायम किये जा चुके है तथा उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी कोई ऐतराज नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर पुनः बंटवारा की जो डिक्री पारित की है उसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से यथावत् रखे जाने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.5. 2018 एवं संशोधित डिकी दिनांक 27.7.2018 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 15.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर